न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 156 / 2024 अपील (GCMS 2024/204)
पंजीयन दिनांक– 08 / 08 / 2024
निर्णय दिनांक– 26 / 05 / 2025

1. श्री जमनालाल पिता स्व. शंकरलाल जाट, निवासी भादसौडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री बाबुलाल पिता स्व. शंकरलाल जाट, निवासी भादसौडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती गीता पुत्री स्व. शंकरलाल जाट, निवासी भादसौडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती हगामी पत्नि स्व. शंकरलाल जाट, निवासी भादसौडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती हमेरी पुत्री स्व. डालू जाट, निवासी भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती मोहनी पुत्री स्व. डालू जाट, निवासी भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. सरपंच ग्राम पंचायत, भादसोडा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री लोकेश गहलोत — अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 04 / 2023 निर्णय दिनांक 05.08.2024 अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 1755 दिनांक 01.09.1989 ग्रा. प. भादसोडा, तहसील भदेसर

निर्णय

दिनांक 26/05/2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 04/2023 निर्णय दिनांक 05.08.2024 अपील नामांतरण संख्या 1755 दिनांक 01.09.1989 ग्राम पंचायत भादसोडा के विरूद्ध दिनांक 08.08.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 श्रीमती हमेरी व श्रीमती मोहनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरण संख्या 1755 आदेश दिनांक 01.09.1989 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी आराजी जो कि पिता डालू की खातेदारी आराजीयात वाके मौजा भादसोडा, पटवार हल्का भादसोडा में स्थित होकर जिसके आराजी नम्बर 614/2, 2909 नये नम्बर 3637, 2983 नये नम्बर 3119, 2984 नये नम्बर 3720, 2985/2 नये नम्बर 3722 कुल किता 5 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा व आराजी नम्बर 823, 2961 नये नम्बर 3684, 2962 नये नम्बर 3696, 2963 नये नम्बर 3697 कुल किता 4 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में 1/2 हक हिस्सा है, आराजी नम्बर 780/2 नये नम्बर 948, 781/2 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा नये नम्बर 949 व आराजी नम्बर 789 रकबा 3 बिस्वा नये नम्बर 960 में 1/3 हक हिस्सा, आराजी नम्बर 793 नये नम्बर 963, 794 नये नम्बर 964 व 965 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा है। जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अपने पिता की विधिक वारिसान होते हुए भी ग्राम पंचायत ने अपने मनमाने ढंग से अपने अधिकारों से परे जाकर दुरूपयोग करते हुए बिना सुने वर्तमान अपील के अपीलांट्स

के पिता पति शंकर के नाम गलत तरीके से नामांतरकरण दर्ज किया गया, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 डालु की जाईन्दा पुत्रियां है। ग्राम पंचायत, भादसोडा द्वारा खोला गया उक्त नामांतरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी वंशावली प्रस्तुत कर बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता डालु की शादी रामी बाई से हुई थी और टोली बाई नातायत पत्नि थी। रामी बाई से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 और टोली बाई से पारस देवी का जन्म हुआ था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 04/2023 निर्णय दिनांक 05.08.2024 से नामांतरण संख्या 1755 दिनांक 01.09.1989 ग्राम पंचायत, भादसोडा को अपास्त कर तहसीलदार, भदेसर को प्रतिप्रेषित किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.08.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:—*"अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, भादसोडा द्वारा नामांतरकरण संख्या 1755 पर पारित निर्णय दिनांक 01.09.1989 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, भदेसर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि मृतक डालु के विधिक वारिसानों की जांच कर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय पारित करें। अपील की जाने विलम्ब अवधि को कंडोन किया जाता है। "*

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 23.05.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि मृतक डालु के द्वारा उनकी समस्त चल–अचल संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.06.1982 को उनके छोटे भाई अर्थात रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के पिता व अपीलांट संख्या 4 के पति शंकरलाल के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजियन करवा दिया और साबिक आराजी संख्या 3068 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा तो दिनांक 05.04.1968 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट संख्या 1 से 3 के पिता व अपीलांट संख्या 4 के पति शंकरलाल के पक्ष में निष्पादित कर बिकाव कर दिया गया है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज निष्पादित करने के पश्चात् अपीलांट संख्या से 3 के पिता व अपीलांट संख्या 4 के पति शंकरलाल के द्वारा उक्त विधिक दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण अपने पक्ष में विधिवत् स्वीकृत करवाया था। उक्त नामांतरकरण स्वीकृत किये जाते समय ग्राम पंचायत के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 पुत्री पारस व पत्नि टोलीबाई को कौरम में मौतबीरान के समक्ष बुलाया गया। उनके द्वारा मौतबीरान मय गवाह के समक्ष वसीयत व विक्रय पत्र को सही मानकर उक्त नामांतरकरण स्वीकृत करने में रजामंदी जाहिर की उसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा विधिवत नामांतरकरण स्वीकृत किया गया, जिस पर गांव के मौतबीरान, पारस, टोलीबाई, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के दस्तखत व अंगुष्ठ मौजूद है। उक्त नामांतरकरण की जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को शुरू से होते हुए भी असत्य आधारों पर 35 वर्ष पश्चात् उसी रजामंदी से स्वीकृत नामांतरकरण को आक्षेपित कर दिया और मयाद बाहर अपील प्रस्तुत कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों को व पत्रावली को ध्यानपूर्वक अवलोकन नहीं किया और 35 वर्ष पुराने रजामंदी से स्वीकृत नामांतरकरण की अपील को बिना किसी आधार के उसकी मयाद को कंडोन कर दिया और नामांतरकरण विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर दिया और वारिसान की नये सिरे से जांच के आदेश पारित कर दिये। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन

में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2019 (2) Page 1555, RRT 2013 (2) Page 1090, RRT 2021 (1) Page 337, RRT 2017 (1) Page 117, 2012 (2) CT (SC) Page 669 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में अपीलांट्स की बहस का खण्डन करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 डालु जाट की जाईन्दा पुत्रियां है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रियों का भी हिस्सा होना बताया तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण खोलते समय रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का नाम छोकर कर नामांतरकरण दर्ज कर दिया गया, जो उचित नही था तथा जाईन्दा पुत्रियों के होते हुए वसीयत भी नही की जा सकती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.08.2024 से नामांतरण संख्या 1755 दिनांक 01.09.1989 ग्राम पंचायत, भादसोडा को अपास्त कर तहसीलदार, भदेसर को प्रतिप्रेषित किये जाने का निर्णय पारित किया, जिसे उचित एवं नियमानुसार होना बताया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD 2002 Page 65, RRD 1985 Page 694 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखे जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 4 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 05.08.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.08.2024 की अपील अपीलांट्स द्वारा दिनांक 08.08.2024 को अंदर मयाद पेश की गयी है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरण संख्या 1755 आदेश दिनांक 01.09.1989 के विरूद्ध प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 04/2023 नामांतरकरण अपील निर्णय दिनांक 05.08.2024 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, भादसोडा के आदेश दिनांक 01.09.1989 नामांतरकरण संख्या 1755 को निरस्त कर तहसीलदार, भदेसर को प्रतिप्रेषित किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि मूल पुरूष श्री डालु पिता जोधा द्वारा दो शादियां की गई। पहली शादी रामीबाई (शादीशुदा पत्नि) जिससे हमेरी एवं मोहनी का जन्म हुआ था एवं दुसरी शादी टोलीबाई (नातायत पत्नि) जिससे पारस का जन्म होना प्रकट होता है।

प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील में मुख्य उज्र यह लिया गया है कि मृतक डालु जी जाट के द्वारा उनकी समस्त चल–अचल संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.06.1982 को उनके छोटे भाई अर्थात् अपीलांट संख्या 1 से 3 के पिता व अपीलांट संख्या 4 के पति शंकरलाल के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजियन करवाया जाने से उक्त नामांतरकरण स्वीकृत किया गया है, जो उचित है।

इस संबंध में स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वसीयत की गई भूमि को विरासत से मिला अर्थात मौरूसी होना प्रकट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मृतक मूल पुरूष डालु को प्राप्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार से निजी व स्वअर्जित संपत्ति नहीं है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रमाणित है। जिस वसीयत को आधार बनाया जा रहा है वह विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में सबंधित सम्पत्ति स्वअर्जित न होकर पैतृक है।

नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही में वसीयत अथवा गोद जैसे जठित प्रश्नों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। वसीयत अथवा गोद के बिन्दू साक्ष्य के आधार पर नियमित वाद में ही निर्णित किये जा सकते हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही 'सरसरी' कार्यवाही होती है जिसके आधार पर किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अपीलांट्स को अपने अधिकार तय कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिये।

विधिक स्थित स्पष्ट करती है कि जहां वसीयती वारिस और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया।

मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा 2020 RBJ 301 में निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- On the basis of Un-registered Will mutation cannot be attested- Non applicant should file a suit in the competent court who can decide about the validity of Will mutation proceedings is a fiscal proceedings in which rights about khatedar of land cannot be decided."

इसके अनुसार वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर ही वसीयत की वैद्यता के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है।

2017 (2) RRT 1279 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135 & 84 - Mutation- attested in favour of petitioners on the basis of Will-Addl. Collector allowed the appeal and found the will suspicious – Will was unregistered & only attested by the Notary – Divisional Commissioner found the will suspicious even then set aside the order of the Addl. Collector – BOR allowed the revision of non-petitioners – Held, No illegality or perversity in order passed by the BOR"

2016 (2) RRT 1099 में मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया गया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation- Will in favour of 'R' Addl. Divisional Commissioner directed to record the land in the name of heirs of 'L'- Dispute between natural heirs & testamentary heirs 'R'- 'R' is required to prove will in the regular suit- Suit for title is pending- Held, Interference in the order is not justified."

2003 (1) RRT 650 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण उनवानी जेठू बनाम भंवरसिंह व अन्य में स्पष्ट मत इस प्रकार से व्यक्त किया है–

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation Proceeding – Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by

way of Will of adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriated forum for adjudication of title."

उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारिसान व वसीयती वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की, जिसका परिणाम हस्तगत अपील है, अतः इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद की स्थिति, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है।

मृतक खातेदार के प्राकृतिक वारिसों के नाम अनुप्रमाणित किया गया भूमि का नामांतरकरण को वसीयत के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है जब तक कि वसीयत के लाभार्थी द्वारा वसीयत की प्रमाणिकता एवं संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जाता है क्योंकि प्राकृतिक वारिसों के विरूद्ध निष्पादित की गई वसीयत सदैव संदेह से घिरी रहती है। विवादित वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में कोई अंतिम निष्कर्ष देना राजस्व न्यायालय के लिये नामान्तरकण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं है।

जहां तक वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन का प्रश्न है, उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वसीयत का विवाद सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित होगा (2005 आरआरडी 401) और वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है (2019 आरआरडी–78, 79)। अतः वसीयत की वैधता एवं उसके प्रमाणन के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा कोई टिप्पणी किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि प्रस्तुत प्रकरण में वसीयत की गई सम्पत्ति पैतृक है। राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 के उप धारा 6 (ख) के अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है। इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयती वारिस के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है।

इस प्रकरण में हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के धारा–8 व 10 के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है, जिसके अनुसारः–

Section 8 provides for the general rules of succession applicable to the devolution of the property of a male Hindu dying intestate.44 The property devolves firstly, on the heirs specified in Class I of the Schedule; if there is no heir of Class I, then, on the heirs specified in Class II; if there is no heir in any of the two classes, on agnates and if there are no agnates, then upon the cognates of the deceased. Section 9 provides for the order of succession among the heirs in the Schedule. Section 10 provides for the distribution of property among heirs in Class I of the Schedule in the following terms:

"10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.—

The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules:—

Rule 1.— The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.

Rule 2.— The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.

Rule 3.— The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.

Rule 4.— The distribution of the share referred to in Rule 3—

(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters gets equal portions; and the branch of his predeceased sons gets the same portion;

(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions."

In terms of Section 10, the division of property of an intestate among the heirs in Class - I is governed by the four Rules extracted above. They stipulate that

(i) the widow or if there is more than one all of them together shall take one share;

(ii) the surviving sons and daughters and mother shall each take one share; and

(iii) heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter take between them one share.

Class-I of the Schedule is in the following terms:

"Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a predeceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a predeceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a predeceased son of a pre-deceased son; [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a predeceased son]."

उपयुक्त क्रम में हम माननीय सर्वोच्यय न्यायालय के निम्नांकित दृष्टांतों का उल्लेख किया जाना उचित समझते है जो हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष को साबित करते हैः

SUPREME COURT OF INDIA- Arunachala Gounder (Dead) By Lrs. – Appellant Versus Ponnusamy And Ors. – Respondent, Civil Appeal No. 6659 of 2011, Decided on : 20-01-2022

(A) Hindu Succession Act, 1956 – Sections 14 and 15 – Female Hindu succession – Right of a widow or daughter to inherit self-acquired property or share received in partition of a coparcenary property of a Hindu male dying intestate is well recognized not only under old customary Hindu Law but also by various judicial pronouncements – If a property of a male Hindu dying intestate is a self-acquired property or obtained in partition of a coparcenary or a family property, same would devolve by inheritance and not by survivorship and a daughter of such a male Hindu would be entitled to inherit such property in preference to other collaterals. (Para 66)

इस आदेश में वर्णित माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टातों से जाहिर यह विधिक स्थिति प्रकट होती है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धारा 14 व 15 – महिला हिन्दु उत्तराधिकार – एक विधवा या बेटी का स्व–अर्जित संपत्ति या बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरूष की सहदायिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त हिस्से को विरासत में पाने का अधिकारी न केवल पुराने प्रथागत हिन्दु कानून के तहत बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के तहत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैः– यदि बिना वसीयत के मरने वाले हिन्दु पुरूष की संपत्ति स्व–अर्जित संपत्ति है या सहदायिक या पारिवारिक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई है, तो यह उत्तराधिकार के तहत प्राप्त होगी न कि उत्तरजीविता द्वारा और ऐसे हिन्दु पुरूष की बेटी अन्य संपार्श्विक के मुकाबले ऐसी संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि जहां हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राकृतिक वारिसान, जिसमें उक्तानुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान को वरियता प्रदान की जानी है, के नाम नामन्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में श्री डालु पिता जोधा जाट के प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसानों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टातों से जाहिर यह विधिक स्थिति प्रकट होती है कि इस प्रकरण में अपीलांट्स स्व. श्री डालु की वसीयत के आधार पर प्राकृतिक वारिसान के विरूद्ध अपने नाम नामान्तकरण की कार्यवाही चाहता है। विभिन्न न्यायालयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जब भी वसीयतग्रहिता वसीयत के आधार पर कोई दाद चाहता है तो उस वसीयत की सत्यतता प्रमाणित करने का भार हमेंशा वसीयतग्रहिता का होता है क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही केवल एक वित्तिय प्रोसेगिंग होती है, जिसमें किसी के हक व अधिकार तय नहीं होता है। वसीयत की प्रमाणिकता एवं सत्यतया साबित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर केवल सक्षम सिविल न्यायालय का है। इसके अतिरिक्त यह सिद्वान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि जहां प्राकृतिक एवं वसीयती वारिसान के मध्य विवाद की स्थिति है तो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राकृतिक वारिसान, जिसमें उक्तानुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान को वरियता प्रदान की जानी है, के नाम नामन्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होने से वसीयत पर विवाद की स्थिति होने से उनके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के विपरित होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में होने से चस्पा होते है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण उपरांत एवं पर्याप्त कारण अंकित

करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स सारहिन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 05.08.2024 यथावत रखा जाता है।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर